संलग्नकः—5

वसूली प्रमाण—पत्र (आर0 सी0) के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश—

1. विभिन्न विभागों से जिलाधिकारी कार्यालय को प्राप्त होने वाले वसूली पत्रों को जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिक द्वारा ई—डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में एन्ट्री की जायेगी।

2. जिलाधिकारी द्वारा ई—डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को लॉगइन कर सम्बन्धित तहसीलों को देयों की वसूली की कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

3. इसके उपरांत उक्त आर0 सी0, जिनकी वसूली की जानी है, को अपर जिलाधिकारी (वि0रा0), सी0 आर0 ए0, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ई—डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर देख सकेंगे।

4. ई—डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर नायब तहसीलदार द्वारा नोटिस की सूचना प्राप्ति के उपरांत अपने डिजिटल हस्ताक्षर से देयों की वसूली हेतु नोटिस, डब्ल्यू0 बी0 एन0 को अग्रसारित किया जायेगा।

5. डब्ल्यू0 बी0 एन0 द्वारा उक्त नोटिस को प्रिन्ट कर, देयों की वसूली हेतु सम्बन्धित अमीनों को वितरित कर दिया जायेगा।

6. नायब तहसीलदार द्वारा एक बार नोटिस निर्गत कर दिये जाने के उपरांत, निर्गत की गयीं समस्त नोटिसों की सूची, ई—डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर सम्बन्धित व्यक्तियों के उपयोगार्थ सत्यापन हेतु इस अर्थ में अपडेट हो जायेंगी कि अमीनों को देयों की वसूली हेतु कब वितरित की गयी हैं। यह सूची कॉमन सर्विस सेंटर पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

7. डब्ल्यू0 बी0 एन0 से अमीन द्वारा नोटिस प्राप्त करने के उपरांत सम्बन्धित व्यक्ति से देयों की वसूली का उत्तरदायित्व अमीन का होगा। अमीन द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस उपलब्ध कराते हुये वांछित देयों को जमा करने हेतु 15 दिवस का समय दिया जायेगा।

8. अमीन द्वारा वांछित देय धनराशि वसूल कर, सम्बन्धित व्यक्ति को रसीद दे देगा।

9. यदि कोई नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को हस्तगत कराये जाने योग्य नही है, यथा (त्रुटिपूर्ण नाम, धनराशि अथवा सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा न्यायालय से

स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया हो) तो अमीन द्वारा उक्त नोटिस को, कारण का उल्लेख करते हुये डब्ल्यू0 बी0 एन0 को वापस कर दिया जायेगा।

10. अमीन द्वारा डब्ल्यू0 बी0 एन0 को वसूल की गयी धनराशि की अद्यावधिक स्थिति दी जायेगी, तद्नुसार डब्ल्यू0 बी0 एन0 द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर सहित ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में अपडेट कर दिया जायेगा।

11. सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अपने देय की स्थिति को कॉमन सर्विस सेन्टर/ई–डिस्ट्रिक्ट सेन्टर पर भी सीधे जमा किया जा सकता है इसके उपरांत इसे ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में अपडेट कर दिया जायेगा।

12. रू0 1.00 लाख से अधिक धनराशि वाली नोटिसों के सम्बन्ध में ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन द्वारा तहसीलदार के उपयोगार्थ एक पताका दर्शाया जायेगा जिसके अन्तर्गत अमीन द्वारा दिये गये समय–सीमा समाप्त हो जाने के उपरांत भी देयों की वसूली नही हो पायी है।

13. उक्त प्रकरण पर तहसीलदार द्वारा वारंट डब्ल्यू0 बी0 एन0 को अग्रसारित किया जायेगा तथा डब्ल्यू0 बी0 एन0 द्वारा इस वारंट को सम्बन्धित अमीन को तामील हेतु अग्रसारित कर दिया जायेगा।

14. अमीन द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित कर, नीलामी प्रक्रिया हेतु उसकी चल/अचल सम्पत्तियों का आंकलन किया जायेगा तथा नियमानुसार नीलामी कर, प्राप्त धनराशि को कोषागार में जमा कर, चालान प्राप्त कर, डब्ल्यू0 बी0 एन0 को ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में अपडेशन हेतु हस्तगत कर दिया जायेगा।

15. उपर्युक्त के उपरांत डब्ल्यू0 बी0 एन0 द्वारा इसे ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में अपडेट कर दिया जायेगा।

16. ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को लॉगइन कर, जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा अद्यावधिक स्थिति देखी जा सकती है।